# पारा विधिक स्वयंसेवक चयन को क्रमांक अनुसार तिथि का निर्धारण

**3** अक्टूबर को क्रमांक 1 से 495 तक के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार

**4** अक्टूबर को क्रमांक 496 से 753 तक अभ्यर्थियों का साक्षात्कार

**5** अक्टूबर को क्रमांक -754 से 1066 तक अभ्यर्थियों का साक्षात्कार

जासं, हाजीपुर : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में पारा विधिक स्वयं सेवक की चयन प्रक्रिया के लिए क्रमांक के अनुसार तिथि का निर्धारण कर दिया गया है। उक्त जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रवीण कुमार सिंह श्रीनेत ने देते हुए बताया कि पारा विधिक स्वयंसेवक संघ के क्रमांक-1 से 495 तक के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 3 अक्टूबर को होगी। इसी प्रकार क्रमांक- 496 से 753 तक का 4 अक्टूबर को तथा क्रमांक-754 से 1066 तक के पारा विधिक स्वयंसेवकों का साक्षात्कार 5 अक्टूबर को होगी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्रीनेत ने बताया कि किसी कारणवश किसी अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र नहीं मिल पाता है तब वैसे अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र की दूसरी प्रति प्राधिकार के कार्यालय में 1 अक्टूबर से उपलब्ध कराया जाएगा। इस साक्षात्कार से संबंधित सभी जानकारी हाजीपुर व्यवहार न्यायालय के वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। ज्ञात हो कि पारा विधिक स्वयं सेवक के लिए कुल 1066 आवेदन प्राप्त हुआ था। इस पद के लिए प्रकाशित विज्ञापन के अनुरूप क्षेत्रीय आधार पर चयन की शर्तों के अनुसार वैशाली जिले के बाहर से प्राप्त 190 आवेदनों को चयन समिति की बैठक में निरस्त कर दिया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने साथ ही यह भी जानकारी दी कि निर्धारित समय सीमा की समाप्ति के बाद प्राप्त 3 तथा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन नहीं किए जाने के कारण 2 आवेदकों के आवेदन को भी निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि साक्षात्कार के दौरान सभी अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा प्राधिकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में घोषणा पत्र के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।